महानिदेशालय कारागार, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: सामान्य/12/2013/ 2356-2400 दिनांक:- 12.4.19

परिपत्र

राज्य में 99 केन्द्रीय/जिला/उप कारागृह, महिला बंदी सुधारगृह, एवं उच्च सुरक्षा कारागृह, संचालित है। इनमें विचाराधीन एवं दण्डित बंदियों को रखा जाता है। कारागृहों में प्रतिदिन बंदियों के पास मोबाईल मिलने एवं बंदियों द्वारा कारागृहों से मोबाईल के जरिये बाहरी व्यक्तियों को धमकी देने मादक पदार्थो की तस्करी करने तथा हत्या करवाने के समाचार की खबरे समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है, जिससे विभाग की छवि धूमिल होती है। कारागृहों में विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा नियमित तलाशी लिये जाने के उपरान्त भी मोबाईल मिलना बंद नहीं हुए है।

कारागृहों में मोबाईल की रोकथाम हेतु वर्ष 2013 में CTCS के माध्यम से बंदी टेलीफोन सुविधा प्रारम्भ की जाकर परिपत्र दिनांक 08.05.2013 एवं 18.07.2013 के द्वारा इस प्रणाली के सुसंचालन हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये थे, जिसमें प्रत्येक पात्र बंदियों को उनकी इच्छानुसार उसके परिजनों से अधिकतम 2 टेलीफोन नम्बर (लेण्डलाईन अथवा पोस्टपेड/प्री-पेड मोबाईल नम्बर) पर वार्ता करने की व्यवस्था की गई थी। यह प्रणाली लागू होने के उपरान्त भी कारागृहों में मोबाईल बरामद होते रहे है, जिससे यह प्रणाली कारागृहों में ज्यादा कारगर नहीं हो पाई।

कारागृहों में मोबाईल की रोकथाम हेतु वर्ष 2013 में CTCS के माध्यम से संचालित बंदी टेलीफोन सुविधा के स्थान पर वर्ष 2018 में कारागृहों में बंदियों हेतु Prison Inmate Calling System (PICS) प्रारम्भ की जाकर परिपत्र कमांक 35901-48 दिनांक 24.09.2018 के द्वारा इस प्रणाली के सुसंचालन हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये थे, जिसमें प्रत्येक पात्र बंदियों को उनकी इच्छानुसार उसके परिजनों से अधिकतम 2 टेलीफोन नम्बर (लेण्डलाईन अथवा मोबाईल नम्बर) पर वार्ता करने की व्यवस्था की गई थी।

वर्तमान में यह व्यवस्था राज्य की 09 केन्द्रीय कारागृहों, 01 महिला बंदी सुधारगृह तथा 10 जिला कारागृहों पर संचालित है। यह प्रणाली लागू होने के उपरान्त भी इस प्रणाली के सुसंचालन हेतु कारागृहों पर अधिक रूचि लेकर इस व्यवस्था हेतु बंदियों को प्रोत्साहित नहीं किये जाने के साथ ही परिजनों के मोबाईल नम्बरों के प्रमाणीकरण में अधिक समय लगने के कारण यह प्रणाली भी कारागृहों में ज्यादा कारगर नहीं हो पा रही है और कारागृहों में मोबाईल बरामद हो रहे है।

बंदियों का परिजनों से वार्ता करना उनका अधिकार है, जिससे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता है। अत: कारागृहों में निरूद्ध बंदियों में से पात्र बंदियों को वार्ता हेतु मोबाईल प्रयोग के अवैध तरीके अपनाने से रोकने तथा परिजनों से वार्ता हेतु वैध तरीका अपनाने हेतु प्रोत्साहन व PICS प्रणाली के कारगर व सफल संचालन हेतु इसमें निम्नांकित संशोधन किये जाते है :-

1. प्रत्येक पात्र बंदी स्वयं की इच्छानुसार उसके परिजनों के अधिकतम 2 टेलीफोन नम्बर के स्थान पर 04 टेलीफोन नम्बर (लेण्डलाईन अथवा पोस्टपेड एवं प्री-पेड मोबाईल नम्बर) पंजीकृत करा सकता है, जिनसे वह कारागृह में संचालित टेलीफोन प्रणाली के द्वारा सम्पर्क करना चाहता है।
2. बंदी द्वारा पंजीकृत कराये गये 04 टेलीफोन नम्बरों का वेरीफिकेशन Truecaller के माध्यम से किया जावे। यदि Truecaller के माध्यम से वेरीफिकेशन नहीं हो पाता है तो मुख्यालय की तकनीकी शाखा की ई-मेल आई.डी. (controlroom2jhq@gmail.com) पर वेरीफिकेशन हेतु भिजवाये।
3. बंदी द्वारा पंजीकृत कराये गये नम्बरों का वेरीफिकेशन होने तक बंदी को फोन सुविधा उपलब्ध कराई जावे। यदि बंदी द्वारा गलत सम्पर्क किया गया है तो बंदी की फोन सुविधा बंद कर दी जावेगी व जेल नियमों के अन्तर्गत दण्डित किया जावेगा।
4. बंदियों को फोन सुविधा के उपभोग हेतु संबंधित कारागृह प्रभारी द्वारा वार्ड वाईज बंदियों को प्रोत्साहित किया जावे।
5. सभी पात्र बंदियों को फोन सुविधा उपलब्ध हो सके इस हेतु वार्ड वाईज समय प्रणाली लागू की जावे।
6. बंदियों को टेलीफोन सुविधा के संबंध में शेष प्रक्रिया परिपत्र दिनांक 24.09.2018 के अनुसार ही रहेगी।

उक्त व्यवस्था लागू होने के उपरान्त भी यदि कारागृहों में मोबाईल बरामद होते है तो बंदी व स्टाफ जो इस अवैध गतिविधि में शामिल होगा उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

12/5

(एन.आर.के. रेड्डी)
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।
2. वितीय सलाहकार, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक कारागार रेंज, उदयपुर/जयपुर/जोधपुर।
4. समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक, केन्द्रीय/जिला कारागृह, राजस्थान।
5. अधीक्षक/प्रभारी, महिला बंदी सुधारगृह, जयपुर/जोधपुर।
6. निजी सचिव, महानिदेशक कारागार राजस्थान, जयपुर।
7. अति. निजी सचिव, महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।
8. प्रभारी, निरीक्षण/तकनीकी शाखा, महानिदेशालय कारागार, जयपुर।
9. रक्षक पत्रावली (समस्त कारागार)

12/5

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान जयपुर